फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री कमलेश रेगर पुत्र श्री गोपीलाल रेगर नि. हाल सावरीया स्वीट हाउस बस स्टेण्ड, दीपापुर तहसील वेमुलवाडा जिला राजना सिलसिला (तेलगांना)–505302 **– अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, देवगढ **– प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा–अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 10/2023**

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 10.04.2023 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, देवगढ से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, देवगढ वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, देवगढ द्वारा जरिये पत्रांक आरटीआई/2023/101–02 दिनांक 14.3.23 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी का सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आवेदन जरिये डाक प्राप्त हुआ। आवेदक द्वारा पोस्टल ऑडर नहीं लगाकर नकद डाक द्वारा प्रेषित किया। साथ ही आवेदक ने बीपीएल श्रेणी का चयन किया, परंतु राशन कार्ड संलग्न नहीं होने से मूल ही आवेदन कार्यालय हाजा के पत्रांकः 761 दिनांक 6.12.2022 जरिये डाक पुनः प्रेषित कर दिया गया एवं निर्देशित किया गया कि यदि आप बीपीएल श्रेणी में आते है तो राशन कार्ड की प्रति संलग्न कर भिजवाये या पोस्टल ऑर्डर लगाकर पुनः आवेदन प्रस्तुत करे। प्रार्थी द्वारा कार्यालय हाजा में पुनः आवेदन नही कर सीधे ही प्रथम अपील किये जाने से अपील निरस्त करने हेतु अनुरोध किया हैं। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, देवगढ की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, देवगढ की रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी ने बीपीएल श्रेणी का होने संबंधी राशन कार्ड की प्रति या पोस्टल ऑर्डर लगाकर पुनः आवेदन नही कर सीधे ही प्रथम अपील प्रस्तुत कर दी हैं। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत Ration Card Family Details की प्रति अनुसार अपीलार्थी बीपीएल श्रेणी का होना प्रतीत होने से लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, देवगढ को निर्देशित किया जाता हैं कि अपीलार्थी यदि बीपीएल श्रेणी का हैं तो जाँच कर नियमानुसार वांछित सूचना उपलब्ध करावें। उक्त प्रकरण इसी स्टेज पर निर्णित किया जाता है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, देवगढ को भिजवायी जावे। **पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।** लोक सूचना अपीलीय अधिकारी (जिला कलक्टर) राजसमंद	न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)